कार्यालय, उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)

E-mail-dfo_tons@yahoo.co.in.Phone/Fax-01373-223328

पत्रांक / पुरोला, दिनांक, 2016

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई निर्माण खण्ड पुरोला,
उत्तरकाशी।

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के कुनारा–पासा नहर निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भ :– **वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2036/12–1(1) दिनांक 23.02.2016।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आपसे सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे इस स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 2036 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून,फरवरी 23, 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।

विषयः- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कुनारा-पासा नहर निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

सन्दर्भः- FP / UK/ IRRIG/7292/2014

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव आपके द्वारा इस कार्यालय को बिना हार्ड प्रति प्राप्त करवाये ऑन लाईन किया गया है।

प्रस्ताव में अपलोड किये गये दस्तावेजों का परीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया निम्न कमियां पायी गई हैं:-

1- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र भाग-2 श्री एम0बी0सिंह के द्वारा दिनांक 5-6-2013 को हस्ताक्षरित है, अपलोड किया गया है। भाग -2 प्रपत्र हिन्दी में वर्तमान में तैनात प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपलोड किया जाय।

2-प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला भाग-2 To be filled by concerned Deputy Conservator of Forest प्रपत्र के बिन्दु 5 में working plan prescription for the forest land proposed for diversion - में "नो डाटा" अंकित है, जो सही नहीं है। आरक्षित वन भूमि में उक्त भूमि किस वर्किंग सर्किल में आता है तथा गैरवानिकी कार्य हेतु वर्किंग प्लान के अन्तर्गत क्या दिशा-निर्देश हैं, का उल्लेख किया जाय।

बिन्दु-7 में वांछित वन भूमि से वन सीमा की दूरी में " नो डाटा " लिखा है जबकि यथास्थिति पर वन सीमा की दूरी का उल्लेख आंकड़ों में किया जाय।

बिन्दु-14 में डिस्ट्रिक्ट प्रोफायल में जिला स्तर के आंकडें दिये जाने हैं,जबकि उक्त प्रपत्र में कोई आकड़े नहीं दिये गये हैं।

उपरोक्त नहर निर्माण हेतु वांछित वन भूमि एक हेक्टर से कम सूचित है तथा इसमें वृक्ष भी बाधित नहीं हैं तो भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय वन अनुसंधान संस्थान परिसर, न्यू फोरेस्ट, देहरादून के पत्र File No. Misc/II/ ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 6-11-2015 (छाया प्रति संलग्न) के अनुपालन में प्रस्ताव की प्राप्ति नोडल अधिकारी के कार्यालय में दो प्रति में स्कैण्ड अथवा मूल प्रति प्राप्त करवाते हुए संगत प्राप्ति का समुहर पदनाम दिनांक अंकित सहित दस्तावेज Proof के तोर पर स्केन प्रति ऑन लाईन अपलोड करना है।

आप प्रस्ताव निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार परीक्षण उपरान्त ही इस कार्यालय को ऑन लाईन करें ताकि अनावश्यक पत्राचार को बढ़ावा न मिले।

प्रस्ताव ऑन लाईन वापिस लौटाया जाता है।

भवदीय

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुनावृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

संख्या 2036 (1) / 12-1(1) दिनांकित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, पुरोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुनावृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।